

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना)
अधिसूचना

अधिसूचना सं०18.00/र०

दिनांक 15.07.13...../


चुंकि बिहार सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना) को यह प्रतीत होता है कि ग्राम -फरीदपुर, परगना-मालदह, थाना सं० -103 जिला -शेखपुरा में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दनियोवा-बरबीघा-शेखपुरा सम्पर्क रेल लाईन के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम-फरीदपुर के भीतर भूमि का भू-अर्जन अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 13.22¼ एकड़ के बराबर होता है। जो भूखण्ड अपेक्षित है उसका खेसरा सं० एवं चौहदी निम्न प्रकार है :-

खेसरा अनुसूची

- पूर्ण सर्वे क्षेत्र सं० - 141, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 166, 168, 169, 170, 171, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 219, 220, 224
- अंश सर्वे क्षेत्र सं० - 138, 140, 144, 145, 155, 157, 163, 164, 165, 167, 172, 174, 191, 192, 200, 202, 203, 213, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 223, 226, 286, 189, 225

सीमा अनुसूची
चौहदी


- उत्तर - 155, 151, 165, 164, 163, 213, 162, 214
- दक्षिण - 140, 138, 141, 144, 145, 172, 174, 192, 191, 193, 189, 197, 200, 202, 203, 221, 226, 235, 223, 222, 286
- पुरब - औधे, थाना नं०-100
- पश्चिम - सारवा, थाना नं०-104


 समाहर्ता
 शेखपुरा

यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11/1961 द्वारा संसोधित अधिनियम 1/1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन इस सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अपर समाहर्ता, शेखपुरा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के प्रारंभिक अनुसंधान तक लगे भू-अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा विभाग राजस्व के पदाधिकारियों और इनके स्टाफ को प्राधिकृत करते हैं कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा4 की उपधारा(2) में यथा उपबंधित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य को समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

भू-अर्जन अधिनियम के धारा 17/4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार के इस परियोजना के त्वरा (Urgency) को देखते हुए यह किया गया है कि इस भू-अर्जन की कार्रवाई में भू-अर्जन अधिनियम के धारा 5..... ए की कार्रवाई लागू नहीं होगी।



समाहर्ता,
शेखपुरा।


सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापक :- 1800...../270

दिनांक 15-07-13/

- प्रतिलिपि : 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में ही, प्रकाशनार्थ। प्रकाशन उपरान्त समाचार की प्रतिलिपि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा को प्राप्त कराने की कृपा की जाए।
2. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, शेखपुरा को जिला गजट के आगमी अंक प्रकाशनार्थ
3. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. समाहर्ता, शेखपुरा / जिला भू अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


समाहर्ता,
शेखपुरा।


सरकार के अवर सचिव,